CO:MBD:2019-20:580

04th Novermber, 2019

National Stock Exchange of India Limited Listing Department Exchange Plaza, Plot No.C/1, 'G' Block Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai-400051

General Manager Corporate Relationship Deptt Bombay Stock Exchange Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort Mumbai 400001

Dear Sir/Madam,

Sub: Raising of Equity Capital by way of preferential allotment
-Press Clippings of Notice of Extra-ordinary General Meeting (EGM)

Please refer to our letter no. CO:MBD:2019-20:575 dated 2nd November, 2019 submitting thereby soft copy of Notice of Extra-ordinary General Meeting of the Bank scheduled to be held on 26th November, 2019 at 11:00 A.M. on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021.

Further to above, we have also published Notice of EGM, in following newspapers:

Business Standard (English) All Editions 04.11.2019

2. Business Standard (Hindi) All Editions 04.11.2019

A copy of press clippings published in Mumbai Edition of abovesaid newspapers are enclosed herewith.

Please take the above on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For CENTRAL BANK OF INDIA

क्षा I CENTRU भूके मर्चेट बेकिंग के कि विभाग, के का Werchant Banking Division, C.O.

DEPUTY GENERAL MANAGER/ COMPANY SECRETARY



Business Standard MUMBAI | MONDAY, 4 NOVEMBER 2019



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया



Central Bank of India

CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT an Extra-ordinary General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Tuesday, 26th November, 2019 at 11.00 A.M. on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021 to transact the following business:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification the following as a Special Resolution : -

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the 'Act') read with The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the 'Scheme') and Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as the 'Regulations') and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Government of India (Gol), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into, with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution to create, offer, issue and allot upto 158,38,45,063 Equity Shares of the face value of Rs.10/- each to President of India (Government of India) on preferential basis, for cash at an issue price of Rs. 21.17 per Equity Share including premium of Rs. 11.17 per equity share determined by the Board in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI ICDR Regulations aggregating upto Rs.3353.00 crore (Rupees Three Thousand Three Hundred and Fifty Three crore

"RESOLVED FURTHER THAT the 'Relevant Date' for determination of the Issue Price is 27-10-2019."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Gol/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions for the issue, allotment and listing thereof and as agreed to, by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter V of the SEBI ICDR Regulations and shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.'

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

NOTES:

1. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Thursday, 21st November, 2019.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Thursday, 21st November, 2019.

- 3. In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate remote e-voting. The cut-off date for determining the eligibility of shareholders to exercise remote e-voting is Tuesday, 19th November, 2019. The remote e-voting period begins on Saturday, 23th November, 2019 at 10.00 AM and ends on Monday, 25th November, 2019 at 05.00 PM. Please note that remote e-voting is optional.
- 4. Notices along with explanatory statement, process & instructions for remote e-voting, Proxy Form and Attendance Slip-cum-Entry Pass, are being posted/ e-mailed individually to all shareholders. Complete text of the Notice is also made available on the website of the Bank i.e., www.centralbankefindia.ee.in under the link "Investor Relations".

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी CERTIFIED TRUE COPY

Place: Mumbai

Date: 29-10-2019

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS For CENTRAL BANK OF INDIA

(ANAND KUMAR DAS) **Deputy General Manager-Company Secretary**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया



Central Bank of India

नरीमन पाइंट, मुम्बई - 400021 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय : चंदरमुखी,

सृचना

एनदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक मंगलवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को प्रात: 11:00 नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई – 400021 पर स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय के 9वें माले पर निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी निम्नलिखित पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर संशोधन या संशोधन के बिना इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :-

के विनियम 164(1) के अनुरूप बोर्ड द्वारा निधारित प्रति इक्टिरी रु.11.17 के प्रीमियम सहित प्रति इक्टिरी शेयर रु.21.17 के संपरिवर्तन/निर्गम मूल्य के नकद के सहपित राष्ट्रीयकृत बैंक (जिसे इसमें इसके पश्चात 'विनियम' कहा जाएगा) एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड और /अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों की शर्त पर एवं उक्त अनुमतियां प्रदान करते हुए उनके द्वारा निधारित शर्तों एवं संशोधनों, जिनसे बैंक के निदेशक महल द्वारा सहमति व्यक्त की गई, की शर्त पर और सेबी (पूंजी एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं के मामले) अधिनियम, 2018 (सेबी आइसीडीआर विनियमन),सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 (सूचीकरण विनियमन) एवं भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य संबद्ध ग्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों की शतौँ के अधीन एवं उन स्टॉक एक्सचेंजों जिनमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करार की शर्त पर बैंक के शेयरधारकों की सहमित है, जिसे बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके प्रशांत 'बोर्ड' कहा जाएगा) जिसमें पूजी जुटानेवाली समिति भी शामिल है, जिसे किया जाना है, को एदत द्वारा, इस प्रस्ताव विविध प्रावधान) योजना 1970, (जिसे इसमें इसके पश्चात 'योजना' कहा जाएगा) एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (श्रेयस एवं मीटिंग्स) विनियम, लिए, कुल रू.3,353.00 करोड़ (रू. तीन हजार तीन सौ तिरेपन करोड़ मात्र) को निर्मित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करने की शक्तियां प्राप्त है "प्रस्ताव है कि बैंककारी कंपनी, 1970 अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'आधिनियम' कहा जाएगा), द्वारा रु. 10/- अंकित मूल्य के कुल 158,38,45,063 ईक्रिटी शेयर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को अधिमानी आधार पर, बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव में निहित शक्ति सहित बोर्ड की शक्तियों के उपयोग के लिए गठित किया गया है/अथवा पूनगीठित

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि संपरिवर्तन मूल्य के निर्धारण के लिए 'संगत तारीख' 27-10-2019 है."

लिस्टिंग करते समय बोर्ड को यह अधिकार व शक्ति प्राप्त होगी कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा "आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निर्गम के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करते समय एवं आवंटन, प्रस्ताव में वाहे गए या दिए गए संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार किया जाए."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस प्रस्ताव के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी एवं आबंटित किए जाने वाले कथित इक्रिटी क्षेयर डीमेट स्वरुप में जारी किए जाएंगे तथा वे सेबी आईसीडीआर विनियमन के अध्याय 🗸 के अंतर्गत आवश्यक लॉक-इन-अवधि के अधीन होंगे एवं सभी पहलुओं में बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप रैंक किए जाएंगे तथा लाभांश, यदि कोई है, की घोषणा करने के समय लागू सांविधिक दिशानिदेशों के अनुसार लाभांश प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को उन सभी कायाँ, विलेखों, मामलों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें बोर्ड पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझा जाता हो और इकिटी शेयर के निर्गम से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह के करने, सभी दस्तावेजों, लेखनों को निष्पादित करने, जो आवश्यक वां<mark>छित व इष्टकर हो, को</mark> शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव से प्रदन अधिकारों से स्पष्टत: उनका अनुमोदन, आंतिम अधिकार व संकल्प मानते हुए उनकी आगे और किसी सहमति, अनुमोदन के बिना, करने हेतु बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है." निपटान हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा आगे इसके पूर्ण विवेकाधिकारों में सही, उचित एवं वांछित समझे जाने वाले उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों,

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावकारी बनाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को अपनी सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधवा कार्यपालक निदेशक(कों) अथवा ऐसे किसी उपयुक्त अधिकारी(यों) को, जो वह जचित समझे, प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है."

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते हैं और ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है.

प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट मुंबई 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन दिनांक 21 नवम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए पूर्व अर्थात गुरुवार,

प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति : ri

बैंक के शेयरधारक किसी कंपनी अथवा निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया , के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकरप की प्रति चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात गुरुवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 को साथं 5.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए 如

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के अनुपालन एवं सेबी (सुचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) अधिनियम 2016 के विनियमन 44 के अनुपालन में अथवा इसमें किए गए संशोधनों के अनुसार बैंक वोटिंग के वैकल्पिक माध्यम के तौर पर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे पाएं. कंपनी द्वारा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ रिमोट ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए दिनांक 23 नवम्बर, 2019 को प्रात: 10:00 बजे से प्रारंभ होकर सोमवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2019 को सांय 5:00 आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं. शेयर धारकों की रिमोट ई-वोटिंग के लिए पात्रता निर्धारण हेतु कट ऑफ तारीख मंगलवार, दिनांक 19 नवम्बर, 2019 हैं कृषया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक हैं. रिमोट ई-वोटिंग समयाविध शनिवार. 6

रिमोट ई-वोटिंग के लिए व्याख्यात्मक विवरणियों, प्रक्रिया अनुदेश के साथ नोटिस, प्रॉक्सी फॉर्म एवं उपस्थिति -सह –प्रवेश पास सभी शेयर धारकों को व्यक्तिगत तौर पर प्रिषेत/मेल किए जा रहे हैं. नोटिस का पूर्ण विवरण बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in में इनवेस्टर रिलेशंस लिंक के अंतर्गत 4

उपलब्ध है.

CERTIFIED TRUE COPY

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी

Merchant Banking Division, C.O. SATI CENTRA

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया महाप्रबंधक - कंपनी सचिव

(आनंद कुमार दास)

-/ध्रम्

29.10.2019 स्थान : मुम्बई दिनांक :

Kumar Anand !

Deputy General Manage & Company Secretary